

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-668/आठ-3-22-187विविध/18
लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत निर्गत लोक सेवा प्रबंधन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-375/91-2013, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 में दिये गये निर्देशों के क्रम में, उक्त अधिसूचना दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग हेतु अधिसूचित सेवाओं के लिए निम्नानुसार पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को एतद्वारा नामित किया जाता है:-

विकास प्राधिकरणों हेतु:-

क्र० सं०	सेवा का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय:-	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष / मण्डलायुक्त
	(1) ग्रुप हाउसिंग			
(2) एकल भवन				
2	गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय			
3	सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय			
4	सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय			
5	आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय			
6	भवनों शमन पर निर्णय			
7	भूखण्ड/भवन को फ्री-होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)			
8	आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय			

नोट-उक्त तालिका में अंकित जिन सेवाओं हेतु पदाभिहित अधिकारी प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे उन सेवाओं हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी मण्डलायुक्त एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी शासन स्तर से नामित विशेष सचिव/सचिव होंगे।

विनियमित क्षेत्रों हेतु:-

क्र० सं०	सेवा का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय:-	नियत प्राधिकारी	नियंत्रक प्राधिकारी	मण्डलायुक्त
	(1) ग्रुप हाउसिंग			
(2) एकल भवन				
2	गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय			
3	सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय			
4	सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय			

5	आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय			
6	भवनों शमन पर निर्णय			
7	भूखण्ड/भवन को फ्री-होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)			
8	आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय			

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों हेतु:-

क्र० सं०	सेवा का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय:- (1) ग्रुप हाउसिंग (2) एकल भवन	अध्यक्ष	मण्डलायुक्त	उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-41 (3) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु शासन द्वारा नामित विशेष सचिव
2	गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय			
3	सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय			
4	सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय			
5	आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय			
6	भवनों शमन पर निर्णय			
7	भूखण्ड/भवन को फ्री-होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)			
8	आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय			

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद हेतु:-

क्र० सं०	सेवा का विवरण	सक्षम प्राधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय:- (1) ग्रुप हाउसिंग (2) एकल भवन	सचिव	आवास आयुक्त	अध्यक्ष
2	गैर आवासीय भवन मानचित्र की स्वीकृति पर निर्णय			
3	सम्पत्तियों के नामान्तरण पर निर्णय			
4	सम्पत्तियों के निबन्धन पर निर्णय			
5	आवन्टी की जमा धनराशि की वापसी पर निर्णय			
6	भवनों शमन पर निर्णय			
7	भूखण्ड/भवन को फ्री-होल्ड किये जाने पर निर्णय (नजूल भूमि को छोड़कर)			
8	आदेशों की नकल प्राप्त करने पर निर्णय			

नोट-उक्त तालिका में अंकित जिन सेवाओं हेतु पदाभिहित अधिकारी आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद होंगे उन सेवाओं हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी शासन स्तर से नामित विशेष सचिव/सचिव होंगे।

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या : ६६४ (१)/आठ-३-२२-१८७विविध/१८-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
6. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर तामील कराने का कष्ट करें।
10. समस्त अनुभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)

अनु सचिव।

